रेल दावा अधिकरण
पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/112/2019

पीठासीनः श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना

संस्थन की तिथि: 15.05.2019

निर्णय की तिथि: 09.01.2025

इसरत खातुन एवं अन्य
सभी निवासी ग्राम/मो0– धमौल,
थाना–कुर्था, जिला–अरवल,
बिहार .... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर .... उत्तरदाता

दावा राशिः ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
याचीगण की ओर से– श्री आर0के0पटेल, अधिवक्ता–उपस्थित।
उत्तरदाता की ओर से–श्री टी0एन0ठाकुर, अधिवक्ता–उपस्थित।

निर्णय

श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण इसरत खातुन एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत मो0 मिस्किन उर्फ मिस्किन उर्फ मिस्किन अहमद की रेल

दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर 12 प्रतिशत ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार दिनांक 09.01.2018 को नेयाज अहमद की उपस्थिति में मो0 मिस्किन जहानाबाद से पटना जं0 का वैध द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा टिकट खरीदा एवं गया–पटना पैसेंजर ट्रेन पर सवार हुआ। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण मो0 मिस्किन ट्रेन के डिब्बे के अन्दर दरवाजा के पास खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। यात्रीगण जगह पाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। यात्रा के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया एवं पुनपुन स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिर गया। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि मृतक किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था वह किसी चलती ट्रेन से रन ओवर हो गया था जो स्टेशन मेमो से स्पष्ट हो जाता है। आवेदकगण को यह साबित करने की आवश्यकता है कि मृतक दिनांक 09.01.2018 को जहानाबाद से पटना जं0 तक गया–पटना पैसेन्जर ट्रेन का टिकट के साथ सदभावी यात्री था अन्यथा उसे अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार करने वाला व्यक्ति माना जाएगा। आवेदक द्वारा जहानाबाद से पटना जं0 का यात्रा टिकट दाखिल नहीं किया गया है और न ही मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में टिकट प्राप्त होने का उल्लेख है जिससे मृतक का सदभावी यात्री होना सिद्ध नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में विपक्षी रेलवे पर कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता है और जैसा मूल आवेदन के पैरा 6 में दावा किया गया है, आवेदक मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06.01.2020 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

(1) क्या मृतक किसी अज्ञात गाड़ी का एक सदभावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम की धारा 123 (c) की परिधि के अंतर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

(3) क्या आवेदक/आश्रितगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदक/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में इसरत खातुन का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 1 के रूप में एवं आफताव आलम उर्फ आफताब अहमद का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से मेमो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, एफ आई आर, डेडबाडी चालान, रेल थाना को दिया गया आवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस फाइनल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, याचीगण का आधार कार्ड, पारिवारिक सूची, बैंक पासबुक, की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट मय दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

दोनों वाद–बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

9. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि दिनांक 09.01.2018 को नेयाज अहमद की उपस्थिति में मो0 मिस्किन जहानाबाद से पटना जं0 का वैध द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा टिकट खरीदा एवं गया–पटना पैसेंजर ट्रेन पर सवार हुआ। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण मो0 मिस्किन ट्रेन के डिब्बे के अन्दर दरवाजा के पास खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। यात्रीगण जगह पाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। यात्रा के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया एवं पुनपुन स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिर गया। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि प्रस्तुत मामले में यदि मृतक के पास टिकट होता तो वह टिकट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय बरामद होता। परन्तु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में टिकट बरामदगी का कोई उल्लेख नहीं है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। याचीगण द्वारा सिर्फ मुआवजा प्राप्त करने के लिए मनगढ़न्त साक्ष्यों पर दावा आवेदन दाखिल किया गया है।

11. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा 2 (29) रेल अधिनियम 1989 में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)– *"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"*

रेल अधिनियम 1989 की धारा 124A के स्पष्टीकरण के अनुसार– *इस धारा के प्रयोजनों के लिए "यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–*

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

12. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.03.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:

".......mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें।

13. याचिनी इसरत खातुन, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र की पैरा 4 में कहा है–

'यह कि दिनांक 09.01.2018 को अपना काम पर वापस जाने हेतु मेरे पति अपने घर से जहानाबाद स्टेशन गए जिन्हें छोड़ने मेरा भाई आफताब आलम भी साथ जहानाबाद स्टेशन गए थे और उन्हीं के समक्ष मेरे पति जहानाबाद स्टेशन से पटना जं0 का वैध रेलवे यात्रा टिकट लेकर गया–पटना पैसेन्जर ट्रेन में पटना जं0 जाने के लिए जहानाबाद स्टेशन पर सवार हुए थे।"

14. दिनांक 05.09.2023 को अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी इसरत खातून, ए0डब्लू0 1 ने बताया है कि–

पति जहानाबाद से पटना का सफर कर रहे थे। मेरे भाई आफताब आलम गाड़ी चढ़ाने के लिए आये थे। घर से दोनों साथ में आये थे। भाई गाड़ी चढ़ाकर लौट गये थे। मेरे पति न्यू मार्केट पटना जंक्सन के पास रहकर ग्रामीण अरसद के साथ काम करते थे। अरसद अली को हम फोन किये थे तो उन्होंने कहा कि अभी घर से नहीं आये हैं। मैं अपने पति को खोजते–खोजते तारेगना पहुंचा तो पति को कपड़ा और फोटो से पहचान किया। मैं अपने पति को टिकट कटाते, गाड़ी पर चढ़ते हुए या गाड़ी से गिरते हुए नहीं देखी थी। पति के पास से कोई सामान नहीं मिला था। प्रस्तुत दावा के अलावा मुआवजा के वास्ते किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा नहीं किया हूं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा दाखिल दावा आवेदन और शपथ–पत्र गलत है। यह कहना गलत है कि मैं न्यायाधिकरण के समक्ष झूठी गवाही देने के लिए आयी हूं।

कोर्ट प्रश्नः

मोहम्मद अरसद मेरे मोहल्ले के हैं। मो. अरसद साथ में यात्रा नहीं कर रहे थे। मो. अरसद छोड़ने नहीं गये थे। मैंने मो. अरसद को अपने घर के मोबाइल से फोन किया था। मेरे पति मोबाइल नहीं रखते थे। मो. अरसद पटना जामा मस्जिद के पास रहते हैं। मेरे पति पटना में मो. अरसद के यहां फोन करने के लिए जाते थे जब 8–10 दिन

के बाद मो. अरसद के फोन पर मिलाया तो बताया कि तुम्हारे पति मेरे यहां नहीं आये हैं।

15. साक्षी आफताव आलम उर्फ आफताब अहमद, ए0डब्लू0 2 ने अपने शपथपत्र की पैरा 4 में कहा है–

"यह कि दिनांक 09.01.2018 को मो0 मिस्कीन अपना काम पर वापस जाने हेतु अपने घर से जहानाबाद स्टेशन गए जिन्हें छोड़ने मैं भी साथ जहानाबाद स्टेशन गया था और मो0 मिस्कीन मेरे समक्ष जहानाबाद स्टेशन से पटना जं0 का वैध रेलवे यात्रा टिकट लेकर गया–पटना पैसेंजर ट्रेन में पटना जं0 जाने के लिए जहानाबाद स्टेशन पर सवार हुए थे।"

16. दिनांक 26.09.2023 को प्रतिपरीक्षण में साक्षी आफताव आलम उर्फ आफताब अहमद, ए0डब्लू0 2 ने बताया है कि–

घटना 09.01.2018 को हुई थी। मृतक न्यू मार्केट पटना में जामा मस्जिद के पास मजदूरी का काम करता था। मृतक मो. मिस्कीन मेरा बहनोई था। घटना की सूचना 20 तारीख को तारेगना के पुलिस से मिली थी। दिनांक 15.01.18 को बहन इशरत खातुन ग्रामीण अरसद के यहां फोन किया तो पता चला कि वे पटना नहीं पहुंचे हैं। मैं बहनोई को छोड़ने जहानाबाद आया था। मैं अपने बहनोई को टिकट कटाते, ट्रेन पर चढ़ते हुए देखे थे, लेकिन गिरते हुए नहीं देखे थे। मृतक का लाश नहीं मिला था। मृतक के लाश को पुलिस ने मोबाइल पर दिखाया था, जिसे देखकर पहचान किये थे। मृतक के लाश को पुलिस वालों ने ही अंतिम संस्कार कर दिया था। यह कहना गलत है कि मृतक की मृत्यु रेलवे लाइन पार करने के दौरान हुई हो।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों एवं ए0डब्लू0 2 के साक्ष्य से मृतक का सदभावी यात्री होना सिद्ध होता है।

17. घटना के उपरांत मृतक की पत्नी इसरत खातुन ने थानाध्यक्ष रेल पी0पी0, तारेगना को आवेदन दी थी जिसमें यह कहा गया है कि–

...मेरे पति मो0 मिस्किन को घर से रेलवे स्टेशन जहानाबाद तक साथ छोड़ने मेरा भाई आफताब आलम पिता स्व0 नेयाज अहमद गये थे। मेरे पति मोहम्मद मिस्कीन मेरे भाई नेयाज अहमद के समक्ष दिनांक 09.01.2018 को जहानाबाद स्टेशन से पटना जंक्शन तक का रेलवे यात्रा टिकट लेकर गया–पटना पसिन्जर ट्रेन में पटना जाने हेतु चढ़े थे।

इस प्रकार घटना के बाद दिये गये आवेदन में यह स्पष्ट कहा गया है कि मृतक, आफताव आलम के समक्ष टिकट लेकर गया–पटना पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ा था। इससे मृतक का सदभावी यात्री होना सिद्ध होता है।

18. रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 *(c)* के अनुसारः–

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 16987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना।

19. स्टेशन प्रबंधक, तारेगना द्वारा थानाध्यक्ष रेल पी0पी, तारेगना को संबोधित स्टेशन मेमो के अनुसार,

सेवा मे, सूचित किया जाता है कि पुनपुन स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने सूचना दिया है कि 63254 Dn पैसेन्जर से एक पुरूष जिसका उम्र 35 वर्ष लगभग हो सकता है पुनपुन प्लेटफार्म पर 63254 Dn से गिरकर कट मर गया है।आप उचित कार्रवाई करें।

उक्त मेमो में स्पष्ट रूप से ट्रेन सं0 63254 Dn से गिरकर कटना एवं मरना अंकित है।

20. पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु का कारण, "*अज्ञात मृतक का मृत्यु गाड़ी सं0 63254 डा0 गया–पटना सवारी गाड़ी से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण मृत्यु होना* " दर्शाया गया है।

जहां तक मृतक का अज्ञात व्यक्ति के रूप में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने प्रश्न है, मृतक की पहचान बाद में रेल पी0 पी0/तारेगना के पास रखे गए मृतक का फोटो एवं कपड़ों के माध्यम से मृतक की पत्नी ने किया था। क्योंकि मृतक की पत्नी ने जब 15.01.18 को ग्रामीण मो0 असगर के पास फोन की थी जो कि पटना में रहता था, तब उसे पता चला कि मृतक पटना नहीं पहुंचा है। तब खोजबीन के क्रम में रेल पी0पी0/तारेगना के समक्ष फोटो एवं कपड़ों को देखकर मृतक की पत्नी एवं परिवार के अन्य लोगों ने मृतक की पहचान की। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से गाड़ी सं0 63254 डा0 गया–पटना सवारी गाड़ी से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण मृत्यु होना अंकित है जिससे मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना में मृत्यु होना साबित हो जाता है।

21. पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार:

1. Abrasion (Red) There was multiple abrasions all over the body ranging 20cmx10cm, 1cmx0.5 cm

2. Rt. upper limb and lower limb separated from trunk of body with blood and blood clots over reminant .... with corresponding contusion and laceration over shoulder, Axillo upper chest in an aread 25 cm x 20 cm and pelvis of size 26 cm x 25 cm with # of ribs both sides costovertebral aspect with corresponding contrusionand laceration of both lungs with liquid blood and blood clots in chest cavity. There was rupture liver, spleen. kidney, bladder, stomach, heart. # of pelvis with liquid blood and blood clots in chest cavity and abdominity cavity and open chest and abdominal cavity lacerated RT. side correspondingly.

Opinion- Cause of death was shock and haemorrhage from polytrauma as mentioned above.

Time since death: within 36 hrs (approx.).

22. पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस फाइनल रिपोर्ट के अनुसार,

"*मृतक मो0 मिस्कीन .... की मृत्यु दिनांक 09.01.18 को जहानाबाद स्टेशन से पटना जं0 तक गाड़ी सं0 63254 डाउन गया–पटना सवारी गाड़ी से यात्रा के क्रम में पुनपुन स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 3 के मध्य भाग पर चलती ट्रेन से गिर कर बुरी तरह जख्मी होने से घटनास्थल पर मृत्यु होना*" दर्शाया गया है।

इस रिपोर्ट में मृतक के ट्रेन सं0 63254 डाउन पैसेन्जर गाड़ी से गिर जाने के कारण गम्भीर चोट लगने से मृत्यु होना दर्शाया गया है।

23. पत्रावली पर उपलब्ध डी आर एम रिपोर्ट के अनुसार–

"*जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतक मिस्किन, ... जो किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था और न ही उसके पास कोई रेल यात्रा टिकट पाया गया। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु अनधिकृत रूप से घटनास्थल पर ट्रैक पार करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी के चपेट में आने से हुई है। अतः उपरोक्त*

परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।"

उपरोक्त रिपोर्ट की स्पष्टता के लिए विपक्षी रेलवे ने कथित ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड अथवा अन्य किसी साक्षी को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक की मृत्यु अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में हुई है।

24. **उपरोक्त तथ्यों से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट हो जाते हैं:–**

(i) ए0डब्लू0 2 आफताव आलम उर्फ आफताब अहमद ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह अपने बहनोई को छोड़ने जहानाबाद आया था। वह अपने बहनोई को टिकट कटाते, ट्रेन पर चढ़ते हुए देखा था। साक्षी ए0डब्लू02 के प्रतिपरीक्षण में किए गए कथन का समर्थन थानाध्यक्ष रेल पी पी तारेगना को दिए गए आवेदन से भी हो जाता है। इससे मृतक का सदभावी यात्री होना साबित होता है।

(ii) स्टेशन मेमो में स्पष्ट रूप से ट्रेन 63254 डाउन से गिरना एवं कट कर मरना दर्शाया गया है जिससे मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना में होना साबित होता है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में भी अज्ञात पुरूष के रूप में ट्रेन 63254 डाउन से गिरने एवं कट कर मरना अंकित है। फाइनल रिपोर्ट में मृतक का नाम मो0 मिस्कीन के रूप में आया है एवं उसमें भी ट्रेन नं0 63254 डाउन से गिरने एवं कट कर मृत्यु होना दर्शाया गया है। मृतक का पहचान घटना के तुरन्त बाद नहीं हुई थी, परन्तु घटना के 10 दिनों के बाद रेल पी0पी0/तारेगना के समक्ष उसकी पत्नी एवं परिवारजनों द्वारा मृतक के फोटो एवं कपड़ों के माध्यम से उसकी पहचान हो गयी थी।

(iii) विपक्षी रेलवे ने कथित ट्रेन के लोको पायलट अथवा गार्ड अथवा अन्य किसी व्यक्ति को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विपक्षी का यह तर्क साबित नहीं होता कि मृतक की मृत्यु अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में हुई हो।

(iv) रीना देवी के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित निदेशानुसार याचीगण को सशपथ टिकट से संबंधित सुसंगत तथ्य प्रस्तुत करने थे जिससे प्रथमदृष्टतया मृतक के सदभावी यात्री होने का दावा सिद्ध हो सके। प्रस्तुत वाद में साक्षी AW-2 ने अपने शपथपत्रीय साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण के माध्यम से यह साबित किया है कि मृतक ने साक्षी AW-2 के समक्ष उसके समक्ष यात्रा टिकट खरीदा था एवं कथित ट्रेन पर चढ़ा था। इसके विपरीत तथ्य को साबित करने का भारी प्रतिवादी रेलवे पर था परन्तु उसने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि मृतक सदभावी यात्री नहीं था। इस प्रकार मृतक का सदभावी यात्री होना सिद्ध होता है।

25. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन यह तथ्य साबित होता है कि मृतक कथित ट्रेन का सद्भावी यात्री था एवं मृतक की मृत्यु अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है। तदनुसार वाद बिन्दु 1 एवं 2 सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03

26. विचारणीय है कि मृतक के आश्रित कौन–कौन हैं? मूल आवेदन के साथ आश्रित प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है जिसके अनुसार, इसरत खातुन (मृतक की पत्नी), मो0 जाहिद आलम, अब्दुल रहमान (दोनों मृतक के पुत्र) एवं शोहरत प्रवीन, आमना खातुन, गुलशन प्रवीन, नेहा प्रवीन, सईमा प्रवीन (पांचों मृतक की पुत्रियाँ) हैं। याचिनी इसरत खातुन ने अपने साक्ष्य शपथपत्र में भी आश्रितों के रूप में इन्हीं व्यक्तियों के

नामों का उल्लेख किया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचिनी का कथन पूर्णतः सिद्ध है। अतः इसरत खातुन (मृतक की पत्नी), मो0 जाहिद आलम, अब्दुल रहमान (दोनों मृतक के पुत्र) एवं शोहरत प्रवीन, आमना खातुन, गुलशन प्रवीन, नेहा प्रवीन, सईमा प्रवीन (पांचों मृतक की पुत्रियाँ), ही रेलवे अधिनियम की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के तहत मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

27. यह वाद बिन्दु उपशम से सम्बन्धित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

28. आवेदकगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है तदनुसार आवेदकगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी रेलवे निर्णीत धनराशि निम्नलिखित अनुसार अदा करेंगेः–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों में)	एवार्ड की गयी धनराशि (₹)	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि (₹)	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है (₹)
1.	इसरत खातुन	पत्नी	52	₹4,50,000	₹50,000	₹4,00,000
2.	मोहम्मद जाहिद आलम	पुत्र	32	₹50,000	₹5,000	₹45,000
3.	शोहरत प्रवीन	पुत्री	28	₹50,000	₹5,000	₹45,000
4.	आमना खातुन	पुत्री	25	₹50,000	₹5,000	₹45,000
5.	गुलशन प्रवीण	पुत्री	23	₹50,000	₹5,000	₹45,000
6.	नेहा प्रवीण	पुत्री	19	₹50,000	₹5,000	₹45,000
7.	साईमा प्रवीण	पुत्री	18	₹50,000	₹5,000	₹45,000
8.	अब्दुल रहमान	अवयस्क पुत्र	15	₹50,000	शून्य	₹50,000*

नोटः– * अब्दुल रहमान (मृतक का अवयस्क पुत्र) के हिस्से की पूरी राशि उसके वयस्क होने तक या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में हो, सावधि जमा में रखा जाएगा।

अब्दुल रहमान (मृतक का अवयस्क पुत्र) का अंश उनकी माता इसरत खातुन के संरक्षण में खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा योजना में, उनके स्थायी निवास स्थान के निकटतम, उसके वयस्क होने या तीन वर्ष के लिए, जो भी बाद में आये, की अवधि के लिए जमा किया जाएगा। उसकी माता अपने अवयस्क पुत्र के भरण–पोषण/रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार होंगी। संचित ब्याज, यदि कोई हो, मूल राशि के साथ परिपक्वता की तारीख को बिना किसी निर्देश के उपयोग के लिए भुगतान किया जाएगा।

29 (a) प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि निर्णित प्रतिकर की धनराशि ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, पंजीकरण की तिथि से निर्णय की तिथि तक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा। अपर निबंधक पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर भुगतान करे।

(b) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/- (अस्सी हजार रूपये मात्र) निर्णीत धनराशि का 10 प्रतिशत एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, नियत निक्षेप बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(c) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुडे अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(d) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(e) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(f) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रद्द) कर देगा।

(g) बैंक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

30. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और याचिनी को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

Rsharma 09/01/2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 09.01.2025

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

Rsharma 09/01/2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 09.01.2025